न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
06 / 2025	111,128 LRA	11.02.2025	17.03.2025

विनय कुमार गोयनका पुत्र श्री मनोहर लाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड संख्या 57 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर जाति गुर्जर निवासी वार्ड संख्या 06, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. प्रदीप गुर्जर पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर निवासी वार्ड संख्या 06, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. पुष्पा गुर्जर पुत्री श्री हनुमान प्रसाद जाति गुर्जर निवासीनी वार्ड संख्या 06, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. मंजू देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर जाति गुर्जर निवासीनी वार्ड संख्या 06, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मोनिका गुर्जर पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर जाति गुर्जर निवासीनी वार्ड संख्या 06, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. विनोद कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति गुर्जर निवासी वार्ड संख्या 06, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. श्रीमान् तहसीलदार महोदय चूरू व जिला चूरू (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा अधिवकता प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री महेश थालौड अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1.यह कि प्रार्थी की कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की एक कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 3156/95 रकबा 1.8021 हैक्टेयर रोही मौजा हिस्सा चूरू तहसील व जिला चूरू में अवस्थित चला आ रही है जिसे प्रार्थी लगातार काश्त करता आ रहा है।

2. यह कि कृषक की कृषि भूमि खसरा क्रमांक 3156/95 के उत्तर में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा क्रमांक 94 है जिसका नक्शा व प्रमाण प्रति जमाबंदी प्रार्थना पत्र पेश करता है।

3.यह कि प्रार्थी एक सीध–साधा शान्त स्वभाव का व्यक्ति है एवम् अप्रार्थीगण प्रभावशाली व बदमाश प्रवृति के लोग हैं जो आए दि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 3165/95 की सीमा का विवाद करते रहते हैं एवं सीमा के साथ छेड़–छाड़ करते हैं तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 3156/95 की सींव को दबाने में हर वक्त प्रयासरत रहते हैं जिस कारण प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 3156/95 की नप्ती करवाकर सीमा ज्ञान मौके पर करवाने बाबत तहसीलदार महोदय चूरू को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर [illegible] वारी ने मौके पर जाकर सीमा ज्ञान की निशान देही दिनांक 02.01.2025 को दे दी [illegible] 01 ता 06 उक्त निशान देही को मानने को तैयार नही है [illegible] यह आवश्यक [illegible] है कि वह अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 3156/95 रोही मोजा [illegible] चूरू की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:51 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

46.

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

सीमा के पुख्ता निशान देही लेकर वहां पर स्थायी सीमा चिन्हगद लगावा लेवें जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

4. यह है कि आवेदक ने कहा व कहलवाया कि आवेदक के खेत खसरा संख्या 3156/95 रोही मोजा करवा चूरू की निशान देही के आवेदक के खर्चे से स्थायीगद (सीमा चिन्ह) करवा लेने देवें तो आवेदक ने 01 ता 06 पहले तो टालमटोल करते रहे और अंतिम दिनांक 28.01.2025 को ऐसा करने से साफ इनकार हो गया यही तिथि विनाय मुखास्मत दावा है तथा बिना किसी दावे के प्रार्थी को वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से हरवक्त प्राप्त हुआ है।

5. यह कि राजस्थान सरकार के भूमिधारी है जिसके प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार साहब चूरू को प्रार्थना पत्र में तरतीबी फरीक बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया।

6. यह कि वादगत कृषि भूमि अदालतवाला की क्षेत्रीय अधिकारिता मेंअवस्थित होने के कारण अदालतवाला को इस प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल हैं।

7. यह प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के के प्रावधानों के अन्तर्गत पेश किया जा रहा है जो हर प्रकार से अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 3156/95 रकबा 1.8021 हैक्टेयर रोही मोजा कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू और कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 94 रोही मोजा कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू के समस्त रकबे की कुशल राजस्व टीम गठित कर नप्ती करवाई जाकर खेत खसरा नम्बर 3156/59 रकबा 1.8021 हैक्टेयर रोही मोजा कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू की समुचित निशानदेही दी जावे, पुख्ता सीमा चिन्ह प्रार्थी के खर्चे से स्थापित करवाई जावे, राजस्व टीम का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार वहन करने के लिए तैयार है।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. डाक करवाई गई। जिस पर अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र बुडानिया ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 04 की ओर से अधिवक्ता महेश थालौड़ ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 05 की ओर से उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 03 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 06, 02, 04 को अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं दिये जाने पर इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि रोही मौजा कस्बा चूरू के खेत खसरा नम्बर 3156/95 में बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि कार्य में उपयोग में लिया जा रहा है जिससे राजस्व की काफी हानी होने की संभावना है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. प्रारम्भिक स्तर पर पेश कर अपनी जवाब देही से बचने हेतु इस प्रकार कार्यवाही करना प्रतीत होने से इस प्रकार की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की गई।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी [illegible] में अधिवक्ता उभय पक्ष पक्ष ने प्रार्थना–पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत [illegible] पत्र धारा [illegible] एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विचाराधीन है। प्रार्थी ने यह निवेदन किया है कि उनके कृषि भूमि खेत

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:51 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 3156/95 की सीमा विवाद को समाप्त किया जाए और स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किया जाए, साथ ही भूमि का गलत उपयोग होने से राजस्व को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु कार्रवाई की जाए। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पैमाईश रिपोर्ट पटवारी दिनांक 02.01.2025 के अनुसार खसरा नम्बर 3156/95 में लगभग 10 बिश्वा भूमि कम है व खसरा नम्बर 94 जो कि ख. नं. 3195/95 के उतर में स्थित है में मौके पर लगभग 10 बिश्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड से अधिक है।

प्रार्थी की अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 3156/95 स्थित है, जिसकी रकबा 1.8021 हैक्टेयर है, जो प्रार्थी के कब्जे में है और वह लगातार काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी ने बताया कि उनके खेत की सीमा को लेकर अप्रार्थीगण द्वारा बार–बार विवाद किया जाता है, और ये लोग प्रार्थी की भूमि की सीमा को दबाने की कोशिश करते हैं। प्रार्थी ने तहसीलदार से सीमा की नप्ती करवाने का अनुरोध किया, जिसके बाद हल्का पटवारी ने सीमा ज्ञान की निषान देही की। हालांकि, अप्रार्थीगण इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, और उनकी ओर से प्रार्थी के खेत की सीमा के साथ छेड़छाड़ की जाती रही। प्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, क्योंकि वे उत्तरदायित्व से बचते रहे हैं। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार, खसरा संख्या 3156/95 में लगभग 10 बिस्वा भूमि कमी है और खसरा संख्या 94 में भी राजस्व रिकॉर्ड से अधिक भूमि पाई गई है, जो विवाद का कारण बन सकती है। अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से जरिये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. आपति की गई है कि उक्त कृषि भूमि अकृषि कार्य में उपयोग में ली जा रही है भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 111,128 में उक्त प्रार्थना का औचित्य नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जाकर अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार चूरू के के पास इस सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र पेश करें तथा सम्बन्धित राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का निरीक्षण किया जाकर अकृषि कार्यों में उपयोग पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करें। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने बाबत है जिसको स्वीकार किये जाने से किसी भी पक्षकार को कोई हानि होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। इस स्तर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने की हद तक स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही कस्बा चूरू तहसील चूरू के खसरा ख.नं. 3156/95 तादादी 1.8021 हैक्टेय भूमि की प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पटवारी द्वारा की गई पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 के अनुसार पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:51 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उप खण्ड अधिकारी
चूरू